अतिमहत्वपूर्ण / समयबद्ध

प्रेषक,

आयुक्त एवं सचिव,
राजस्व परिषद उ0प्र0,
अनुभाग–5, लखनऊ।

सेवा में,

1– समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।

2– समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

संख्या : १-२११३/41 ए/2017 दिनांक : 11/08/2017

विषय : ऋण मोचन योजना के अन्तर्गत प्रथम चरण में अंश निर्धारण की प्रगति के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक परिषदादेश संख्या आर–1980/जी–5–41ए/17, दिनांक 31 जुलाई, 2017, का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा निर्धारित प्रारूप पर संकलित सूचना परिषद की वेबसाइट (http://bor.up.nic.in) पर फीड कराये जाने हेतु निर्देश दिये गये है जिसके क्रम में जनपदों से वांछित सूचना की रिपोर्ट पोर्टल पर दिनांक 01.08.2017 से फीड की जा रही है, परन्तु शासन स्तर पर समीक्षा बैठक में निम्नवत प्रारूप पर जनपदों से सूचना प्राप्त करने का निर्णय लिया गया है–

क्रम संख्या	जनपद का नाम	जनपद में ऋण मोचन योजना के अन्तर्गत प्रथम चरण में अंश निर्धारण हेतु कुल कृषकों की संख्या	प्रथम चरण के सापेक्ष अंश निर्धारण किये गये कृषकों की संख्या	अवशेष
1	2	3	4	5

अतः इस संबंध में मुझे यह कहने की निदेश हुआ है कि आपके द्वारा प्रथम चरण की प्रगति समीक्षा हेतु उपर्युक्त प्रारूप पर सूचना प्रत्येक दशा में प्रतिदिन सांय 5.00 बजे तक परिषद की वेबसाइट (http://bor.up.nic.in) पर फीड करवाना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

11/8/2017

(भीष्म लाल वर्मा)
उप भूमि व्यवस्था आयुक्त,
कृते आयुक्त एवं सचिव।

प्रतिलिपि :– प्रमुख सचिव (राजस्व), उ0प्र0 शासन, लखनऊ को सूचनार्थ।

(भीष्म लाल वर्मा)
उप भूमि व्यवस्था आयुक्त,
कृते आयुक्त एवं सचिव।